न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 45 / 2022

अपीलांट्स –	*बनाम*	**रेस्पोडेंट्स–**
1. दुर्गेश पुत्र प्रागाराम 2. कैलाश कुमार उर्फ केवाराम पुत्र प्रागाराम जाति चौधरी निवासी जूना मीठा खेड़ा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. जेठाराम पुत्र मोडाराम 2. देदाराम पुत्र मोडाराम 3. नेनाराम पुत्र मोडाराम 4. वदणों पुत्री मोडाराम के कायम मुकाम– 4.1 सुरेश पुत्र सोनाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलीया हरखु 4.2 हरखु पुत्री सोनाराम जातियान चौधरी निवासी जूना मीठा खेड़ा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 5. तहसीलदार सिवाना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 4392 दिनांक 30.06.2022 जो तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री हरीश सोनी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1से4 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 5 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 23.11.2022

1. अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम पादरू तहसील सिवाना के नामान्तरकरण सं. 4392 पर तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 30.06.2022 के विरूद्ध दिनांक 21.07.2022 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:39:11 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त [illegible] हैं कि मौजा पादरू तहसील सिवाना के खसरा नम्बर 2060/144 व [illegible] रकबा क्रमशः 4.7511 व 8.6926 हैक्टर भूमि में सहखातेदार मोडा पुत्र [illegible]णा के नाम हिस्सा [illegible] खातेदारी में दर्ज था। उक्त खातेदार मोडा का देहान्त दिनांक 15.05.[illegible] को होने

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पर हलका पटवारी पादरू द्वारा नामान्तरकरण सं. 4392 में मृतक मोडा के वारीस के रूप में जेठाराम, देदाराम, नेनाराम पि0 मोडा, सुरेश कुमार पुत्र सोनाराम व हरखु देवी पुत्री सोनाराम जाति कलबी सा0 खेड़ा के नाम दर्ज कर तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार सिवाना द्वारा हल्का पटवारी द्वारा दर्ज एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की गई प्रविष्ठियों को सही मानते हुए उक्त नामान्तरकरण आदेश दिनांक 30.06.2022 द्वारा स्वीकृत कर दिया। इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स द्वारा मय अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया तथा अपीलांट्स की अपील स्वीकार किये जाने की सहमति प्रदान की गई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स द्वारा मौजा पादरू के खेत खसरा नम्बर 2060/144, 145, 142, 185, 184, 2061/144 की खातेदारी भूमि के खातेदार मोडा व दाना पि0 पमाणा से उनके हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि जरिये मुख्तयारखास प्रागाराम पुत्र पंचाणाराम से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 26.07.2011 द्वारा खरीद कर ली गई थी। उक्त विक्रय विलेख का उप पंजीयक सिणधरी के कार्यालय में दिनांक 27.07.2011 को पंजीकरण भी करवा लिया गया था। अपीलांट्स द्वारा उक्त पंजीबद्ध बेचान नामा की प्रति हल्का पटवारी को प्रस्तुत कर नामान्तरकरण हेतु निवेदन किया गया। हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट्स को विवादित भूमि के सम्बन्ध मे राजस्व वाद सं. 70/2010 मनसुखसिंह बनाम भोमाराम व अन्य सहायक कलेक्टर सिवाना के समक्ष विचाराधीन होना बताते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी गई। इसके पश्चात उक्त वाद का निर्णय दिनांक 31.08.2021 को होने पर अपीलांट्स द्वारा पुनः हल्का पटवारी को नामान्तरकरण हेतु निवेदन किया तथा रेस्पोडेंट सं. 5 तहसीलदार सिवाना के समक्ष भी प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.06.2022 को प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सिवाना द्वारा अपीलांट्स के प्रार्थना–पत्र पर हल्का पटवारी को पत्र क्रमांक : भू.अ./[illegible]2/[illegible]07 दिनांक 29.06.2022 द्वारा नामान्तरकरण दायर करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके बावजूद भी हल्का पटवारी द्वारा [illegible] के फोतगी दिनांक 15.05.2018 का उल्लेख करते हुए उसके वारीसान के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:39:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अनाधिकार रूप से दायर कर प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सिवाना द्वारा भी उपर्युक्त सम्पूर्ण तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए गलत रूप से दायर नामान्तरकरण को अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2022 के द्वारा स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार खातेदार मोडाराम व दानाराम के विवादित खातेदारी खेत के पंजीकृत बेचाननामा से रेस्पो0 सं. 1से4 के नाम दर्ज एवं स्वीकृत फोतगी नामान्तरकरण अपीलांट्स के हको के विरूद्ध शुरू से ही निष्प्रभावी, शुन्य व अवैध हैं जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 4392 दिनांक 30.06.2022 को निरस्त किया जाकर माफिक बेचाननामा अपीलांट्स के हक में नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

5. रेस्पोडेंट संख्या 1से4 की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के मध्य निष्पादित राजीनामा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अपीलांट्स का नाम दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1से4 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि अपीलांट्स द्वारा मौजा पादरू के खेत खसरा नम्बर 2060 / 144, 145, 142, 185, 184, 2061 / 144 की खातेदारी भूमि के खातेदार मोडा व दाना पि0 पमाणा से उनके हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि जरिये मुख्तयारखास प्रागाराम पुत्र पंचाणाराम से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 26.07.2011 द्वारा खरीद कर ली गई थी। उक्त विक्रय विलेख का उप पंजीयक सिणधरी के कार्यालय में दिनांक 27.07.2011 को पंजीकरण भी करवा लिया गया था। उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख को किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया हैं तथा प्रभाव में हैं। तहसीलदार सिवाना द्वारा बेचानकर्ता मोडा के फोतगी पर उसके वारीसान के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 30.06.2022 को स्वीकृत कर दिया गया हैं जबकि अपीलांट्स के प्रार्थना–पत्र पर एक दिन पूर्व ही हल्का पटवारी को विक्रय विलेख के आधार पर अपीलांट्स के पक्ष में नामान्तरकरण दायर करने का आदेश जारी किया गया हैं। इस प्रकार तहसीलदार सिवाना द्वारा अपीलाधीन ना[illegible]पूर्व किसी प्रकार की जांच एवं हितबद्ध पक्षकारान को नोटिस [illegible]ई का अवसर दिया जाना नहीं पाया जाता है। अपी[illegible] द्वारा किये गये विक्रय को उसके वारीसान द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलांट्स के पक्ष में नामान्तरकरण दायर करने बाबत स्वयं रेस्पोडेंट संख्या 1से4 ने जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:39:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजीनामा स्वीकार किया है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 4392 तथ्य एवं विधिविरूद्ध है जिन्हें बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार सिवाना द्वारा मौजा पादरू के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 4392 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार सिवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं विक्रय विलेख के सम्बन्ध में जांच एवं हितबद्ध पक्ष को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 23.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोकबंधु)
जिला कलक्टर बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:39:11 IST
Reason: SelfAttested